P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-IV, May-2015
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

दलित महिलाओं के प्रति बढता अत्याचार एवं संरक्षण के कानूनी प्रावधान

जितेन्द्र कुमार चौधरी
शोध छात्र,
समाजशास्त्र विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

रेणुका लारिया
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर, म. प्र.

सारांश

यह अत्यंत चिंताजनक विषय है, हमारे देश में स्त्री जाति का संबंध समाज के एक ऐसे वर्ग या समुदाय से है। जिसकी दशा, उनके सामाजिक कुरीतियों एवं अवरोधों के कारण अत्याधिक दयनीय बन चुकी है।[1] बहुधा स्त्रियों को पुरूषों द्वारा कारित किये जाने वाले अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की परम्परा ऐतिहासिक है। दलित के रूप में दलित जाति की महिलाओं को अपने समुदाय के विरूद्ध अत्याचारों के तीव्रतम प्रहार को सहना पड़ता है। वर्तमान समय में दलित महिलाओं के विरूद्ध किये गये अत्याचारों की संख्या में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति देखी गई है जो ऊंची जातियों के क्रोध एवं प्रबल रोष का लक्ष्य बन जाती है। महिलाओं को ही चुनकर अनादर का शिकार बनाया जाता है। दलितों पर होने वाले अत्याचार मुख्यतः महिलाओं के विरूद्ध होने वाले यौन अत्याचार की ओर तीव्र गति से बढ़ना तथा स्वयं के दलित परिवार द्वारा आरोपित प्रतिबंधों का सामना करना समाज में दलित महिलाओं के प्रति दयनीय स्थिति को इंगित करता है।[2]

प्रस्तुत आलेख, जबलपुर जिला के अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में सन् 2000–2010 तक पंजीबद्ध मामलों को लिया गया है। जो अत्याचार से पीड़ित दलित महिलाओं पर केन्द्रित है। जिसमें अत्याचार से पीड़ित दलित महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को ज्ञात किया गया है।

मुख्य शब्दः दलित, अत्याचार की प्रकति एवं स्वरूप, अत्याचार के निर्धारक एवं उत्तरदायी कारण संरक्षण के कानूनी प्रावधान।

पस्तावना

दलित एक विशुद्ध भारतीय अवधारणा है, जिसका प्रयोग संवैधानिक रूप से परिभाषित अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उस समूह से लिया जाता है, जो तथाकथित रूप से उपेक्षा, शोषण और उत्पीड़न का शिकार हुआ है। आजकल 'दलित' शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिये किया जा रहा है जिन्हें अमानवीय व्यवहार, अन्याय, भेदभाव, सामाजिक निर्योग्यताओं, सामाजिक प्रताड़ना, राजनीतिक एवं आर्थिक वंचनाओ और असुविधाओं के लम्बे दौर से गुजरना पड़ा है। 'दलित वर्ग' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1920–30 के आस–पास हुआ, किंतु 1973 के बाद यह एक जनसामान्य शब्द बन गया। दलित से यहाँ आशय उन लोगों से है जो संविधान की धारा–341 (1) तथा (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे गए हैं।[3]

दलित महिलाओं पर अत्याचार

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे काल से अवमानना यातना और शोषण का शिकार रही है। जितने काल से हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध है।[4] जिसमें एक निम्न जाति की महिला को दोहरे शोषण और अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। वह अपने दलित परिवार में दलित होती है, और उच्चजातियों के पुरूषों द्वारा बलात्कार, शीलभंग, अपहरण, शोषण आदि घटनाओं की भी शिकार हाती है। उन्हें दोहरा अत्याचार सहना पड़ता है। दलित परिवारों की दीन हीन दलिद्रता पूर्ण स्थितियों के परिणाम स्वरूप दलित जातियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति निम्न होती है।

अत्याचारों की प्रकृति

अत्याचार की प्रकृति बाध्यता मूलक होती है, चाहे उसका स्वरुप भेदभाव जनित हो, शोषण मूलक हो अथवा उत्पीड़नात्मक। इसमें दबे या खुले रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अत्याचारी वर्ग की समाज में स्थिति अच्छी होती है। सामान्यतः अत्याचार शक्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हितों पर चोट

पहुँचाने वालों को दबाने के लिए किए जाते हैं। दबाव की मात्रा, प्रकृति एवं स्वरूप में समय, स्थान एवं सन्दर्भ (अत्याचार व पीड़ित व्यक्ति अथवा समूहों की संख्या, शक्ति तथा स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन की तत्परता व कार्य क्षमता) के अनुसार भिन्नता हो सकती है। (देखिए रिर्पोट 1981: 345–60)। इस प्रकार अत्याचार में उच्च व शक्ति सम्पन्न वर्गो द्वारा समाज के आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गो जो अपनी सुरक्षा करने में अशक्त होते है विरूद्ध किए गए अपराधों को शामिल किया जाता है।[5]

अत्याचार की शिकार दलित महिलाएँ

अत्याचार से साधारणतया शिकार वे महिलायें होती है। जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत निम्न होती है जिनमें विरोध करने का सामर्थ्य नही होता तथा जिनके परिवार के सदस्य सदैव भय के वातावरण में रहते है। जो उच्च जातियों की शक्ति एवं उनके प्रभाव के कारण परिवार के अन्य सदस्यों पर अत्याचार होने के भय के कारण अत्याचार का शिकार होती रहती है। जिनमें सामाजिक परिपक्वता की सामाजिक या असामाजिक अन्तरवैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है। जिनके पति/ससुराल/परिवार वालों का विकृत व्यक्तित्व है। जिनके परिवार में अत्याधिक मदिरापान किया जाता है। जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थितियों में रहती है या ऐसे परिवारों में रहती है जिन्हे समाजशास्त्रीय शब्दावली में सामान्य परिवार नही कहा जा सकता। जिन्हे जीवनयापन हेतु दूसरों के घरो, कारखानो, खेतो आदि में श्रम करना पड़ता है।

दलित महिलाओं पर अत्याचार के कारण

दलित जातियों के प्रति हीनता की भावना। महिला एवं महिला के परिवार के प्रति शत्रुता की भावना।, परिस्थितिवश प्रेरणा। दलित महिलाओं की पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक दशा निम्न होने के परिणामस्वरूप उनमें विरोध की शक्ति न होने के कारण।[6]

संरक्षण के कानूनी प्रावधान

अनुच्छेद 14 राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर।

अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्धि।

अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव का अधिकार।

अनुच्छेद 39 आजीविका के समान साधन तथा समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायोचित एवं मानवीय दशाएँ तथा प्रसूति सुविधाएँ।

अनुच्छेद 51(ड) महिलाओं प्रति अपमान–जनक प्रथाओं के त्याग का मौलिक दायित्व।[7]

महिला शक्ति सम्पन्नता हेतु विविध कानून

महिला विशिष्ट कानून, अनैतिक व्यापार (निवारण), अधिनियम, 1956, प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961, देहज निषेध अधिनियम, 1961, स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध), अधिनियम, 1986, सती प्रता (निवारण) अधिनियम, 1987, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

आर्थिक कानून

कारखाना अधिनियम, 1958, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976

संरक्षण कानून

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के संगत उपबन्ध, विधि व्यवसायी (महिला) अधिनियम, 1923, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994

सामाजिक कानून

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984, भारतीय उत्तराधिकार समापन अधिनियम, 1925, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971, बाल–विवाह अवरोध अधिनियम, 1929, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (वर्ष 2005 में संशोधन), भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1969[8]

पूर्व अध्ययन की समीक्षा

श्रीमति भावना वर्मा[9] (2002) महिलाओं के प्रति अपराध कारण व परिणाम, अपनी शोध पुस्तक में जबलपुर जिले की महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों उनके कारणों एवं परिणामों को स्पष्ट किया है इन्होने अपने अध्ययन में पाया कि अपराध की घटना की जाति के साथ सह संबंध है तथा सर्वाधिक अपराध की घटनाएँ अनुसूचित जाति (दलित) महिलाओं के साथ घटित होती है तथा कम उम्र की तथा निम्न सामाजिक, आर्थिक स्थितियों की महिलाओं के प्रति अपराध की दर अधिक पाई जाती है।

पंचांग राजकुमारी[10] (1995) ''मध्यप्रदेश में दलित महिला अतीत वर्तमान और भविष्य'' इन्होनें मध्यप्रदेश के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हुए अत्याचार एवं वर्तमान समय में स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान निर्माण के बाद हो रहे अत्याचार बलात्कार यौन उत्पीड़न मारपीट आदि घटनाओं को प्रस्तुत किया।

डाओने सुनील[11] (2004) ''नारी उत्पीड़न'' अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विशेष संदर्भ में अध्ययन के दौरान पाया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार, यौन उत्पीड़न बलात्कार तथा शारीरिक शोषण संबंधी तमाम घटनाओं का चित्र सहित वर्णन प्रस्तुत किया।

अध्ययन के उद्देश्य

1. अत्याचार से पीड़ित दलित महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को ज्ञात करना।
2. अत्याचार की प्रकृति के आधार पर पीड़ित दलित महिलाओं की संख्या एवं जाति ज्ञात करना।

कार्यकारी उपकल्पना

1. तुलनात्मक रूप से निर्धन परिवारों की दलित महिलाओं के अत्याचार से पीड़ित होने की संभावना अधिक पाई जाती है।
2. विवाहितों की तुलना में अविवाहितों के अत्याचार से पीड़ित होने की दर अधिक पाई जाती है।

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-IV, May-2015
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

3. उच्च शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित एवं कम शिक्षित अत्याचार से अधिक पीड़ित पाई जाती है।

अध्ययन विधि एवं अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध प्रपत्र अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ जबलपुर (म.प्र.) में पंजीबद्ध 2000–2010 तक के प्रकरणों को लिया गया है, जो जबलपुर जिले की अत्याचार से पीड़ित दलित महिलाओं से संबंधित है। अध्ययन विधि के रूप में वर्णात्मक सह विश्लेषणात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है। तथा सूचनादाताओं का चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर पंजीबद्ध 301 प्रकरण (जो पीड़ित दलित महिलाओं से संबंधित है) में से 75 (24.91%) पीड़ित महिलाओं का चुनाव किया गया है। तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो ही तरह के तथ्यों का उपयोग किया गया तथा साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन द्वारा प्राथमिक तथ्यों को प्राप्त किया गया। .

जबलपुर जिला से संबंधित (2000–2010)
दलित महिलाओं पर अत्याचार की अपराधबार स्थिति

हत्या	हत्या का प्रयास	बलबा	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	मारपीट चोट	कुल
5	6	4	105	111	9	60	301
1.67%	1.99%	1.33	34.88%	36.87%	2.99%	19.44	100%

द्वितीयक स्त्रोत से प्राप्त सूचना– जबलपुर अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ मे दर्ज रिपोर्ट के अनुसार

उपरोक्त तालिका अत्याचार की अपराधवार स्थिति को प्रकट करती है। जिसमें दलित महिलाओं के प्रति होने वाले सभी प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, चोट, जातिगत अपमान, बलवा, बलात्कार, शीलभंग, अपहरण जैसे अपराध सम्मिलित है। जिसमें सर्वाधिक बलात्कार 34.88 प्रतिशत एवं शीलभंग 36.97 प्रतिशत पीड़ित है, जबकि अन्य तरह के अपराधों की संख्या कम है। अधिकांश अत्याचार दलित महिलाओं के प्रति यौन संबंध पर आधारित है।

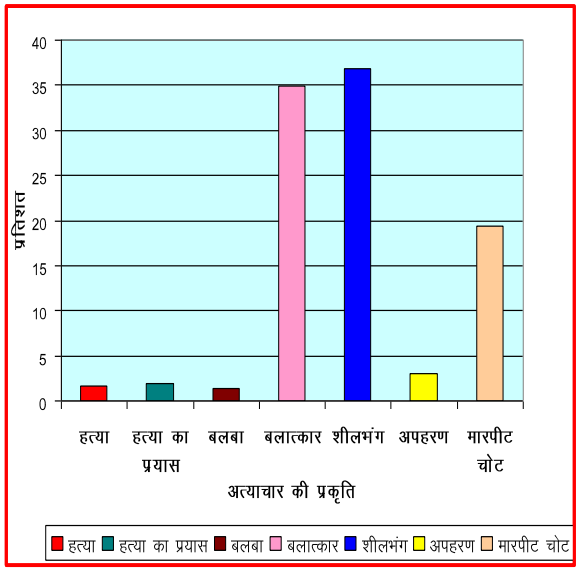

सारणी क्रमांक–1
आयु समूह के आधार पर सूचनादाताओं की संख्या

आयु समूह	कुल	प्रतिशत
0-6	1	1.33
6-12	4	5.34
12-18	26	34.67
18-24	12	16.00
24-30	17	22.67
30-36	8	10.66
36-42	5	6.67
42-48	1	1.33
48-54	1	1.33
कुल	**75**	**100**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है, कि दलित महिलाओं पर अत्याचार 6 वर्ष से कम आयु से लेकर 54 वर्ष से अधिक आयु की पीड़ित दलित महिलाएं पाई गई है। पीड़ित महिलाओं की अधिकतम संख्या 12 से 30 वर्ष के मध्य अधिक दिखाई देती है, तथा 12–18 आयु समूह के मध्य पीड़ित महिलाओं की सर्वाधिक 34.67 प्रतिशत पाया गया, वही 12 से कम और 42 वर्ष से अधिक आयु समूहों में अत्याचार से पीड़ितों की संख्या कम ही दिखाई दी। अतः सारणी से स्पष्ट होता है, कि आयु समूह 12 से 36 के मध्य दलित महिलाओं के अत्याचार से अधिक पीड़ित होती है।

सारणी क्रमांक–2
पीड़ित दलित महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति

शैक्षणिक स्थिति	कुल	प्रतिशत
निरक्षर	13	17.33
साक्षर	11	14.66
प्राथमिक	20	26.66
माध्यमिक	22	29.34
हाईस्कूल	09	12.00
स्नातक	-	-
स्नातकोत्तर	-	-
कुल	**75**	**100**

सारणी क्रमांक 2 के अनुसार अत्याचार से सर्वाधिक पीड़ित होने वाली दलित महिलाओं में सर्वाधिक 29.34 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक की शिक्षित पीड़ित महिलाएं पाई गई वहीं दूसरे स्थान पर प्राथमिक स्तर की 26.66 प्रतिशत महिलाएँ पीड़ित पाई गई। 17.33 प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर तथा 14.66 प्रतिशत पीड़ित महिलाएँ साक्षर पाई गई जबकि स्नातक एवं स्नात्कोत्तर स्तर के पीड़ित दलित महिलाएं के साथ ऐसा अत्याचार का मामला दिखाई नहीं दिया। अतः सारणी में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कहाँ जा सकता है, कि अत्याचार मुख्य रूप से निरक्षर एवं कम शिक्षित दलित महिलाओं पर अधिक होता है।

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-IV, May-2015
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

सारणी क्रमांक–3
पीड़ित दलित महिलाओं की वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति	कुल	प्रतिशत
अविवाहित	47	62.67
विवाहित	28	37.33
विधवा	-	-
परित्यक्त	-	-
कुल	**75**	**100**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 3 में अत्याचार से पीड़ित महिलाओं की वैवाहिक स्थिति को दर्शाया गया है, जिसके अनुसार अविवाहित दलित महिलाएँ अत्याचार से सर्वाधिक 62.67 प्रतिशत पीड़ित पाई गई, जबकि विवाहित महिलाएँ 37.33 प्रतिशत पीड़ित पाई गई। अत्याचार से मुख्यतः यौन संबंधी अत्याचारों की संख्या पीड़ित महिला दलित के संदर्भ में अधिक देखी जाती है, जिनमें पीड़ित की आयु कम होती है। जबकि विवाहित महिलाओं के साथ यौन संबंधी अत्याचार के अतिरिक्त हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा, अपहरण, मारपीट चोट, शीलभंग जैसे अन्य अत्याचार भी होते हैं। अतः अधिकांशतः पीड़ित दलित महिलाएँ अविवाहित होती है।

सारणी क्रमांक–4
पीड़ित दलित महिलाओं की निवास स्थान की स्थिति

निवास स्थान	कुल	प्रतिशत
ग्रामीण	43	57.34
नगरीय	32	42.66
कुल	**75**	**100**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 4 से ज्ञात होता है, कि अत्याचार से पीड़ित दलित महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित निवास करने वाली होती है। 57.34 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की पीड़िता दिखाई दी वही नगरीय क्षेत्रों में 42.66 प्रतिशत महिलाएँ पीड़ित पाई गई। निवास के दोना ही स्थान पर दलित महिलाएँ निरंतर ही पीड़ित पाई जाती है। वहीं ये अत्याचार की सभी प्रकृतियों से पीड़ित होती है।

सारणी क्रमांक–5
पीड़ित दलित महिलाओं के परिवार की व्यावसायिक स्थिति

व्यावसायिक स्थान	कुल	प्रतिशत
मजदूरी	30	40.00
परम्परागत/जातिगत व्यवसाय	13	17.34
कृषि	7	9.33
गैर सरकारी सेवा	24	32.00
शासकीय सेवा	1	1.33
कुल	**75**	**100**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 5 के अनुसार पीड़ित महिला के परिवार के मुखिया की व्यावसायिक स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें अत्याचार से पीड़ित होने वालों में सर्वाधिक 40 प्रतिशत मजदूरी करने वाले परिवार की थी। वहीं परम्परागत व्यवसाय या जातिगत व्यवसाय करने वाले परिवारा की महिलाएँ 17.34 प्रतिशत पीड़ित पाई गई। वहीं दूसरे स्थान पर गैर सरकारी सेवाओं में कार्य करने वाले परिवार की 32.00 प्रतिशत महिला पीड़ित हुई। सरकारी सेवाओं में संलग्न दलित परिवार की महिलाओं के साथ अत्याचार की कम घटनाएँ दिखाई देती है। अतः अत्याचार से पीड़ित मुख्यता मजदूरी, गैर सरकारी सेवा एवं जाति या परम्परागत व्यवसायाओं को करने वाले निर्धन परिवारों की महिलाएँ अधिक पीड़ित होती है।

सारणी क्रमांक–6
पीड़ित दलित महिलाओं के परिवार की मासिक आय

मासिक आय	कुल	प्रतिशत
1500-3000	38	50.66
3001-6000	18	24.00
6001-9000	10	13.33
9001-12000	7	9.33
12000 **से अधिक**	2	2.66
कुल	**75**	**100**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 6 के अनुसार पीड़ित दलित महिलाओं के परिवार की मासिक आय को दर्शाया गया है। जिसमें 1500 से 3000 मासिक आय अर्जित करने वाले दलित परिवार की सर्वाधिक 50.66 प्रतिशत दलित महिलाएँ पीड़ित पाई गई, दूसरे स्थान पर 3001–6000 मासिक आय वाले परिवार की 24.00 प्रतिशत महिलाएँ पीड़ित पाई गई, जबकि 9001–12000 और 12000 से अधिक आय वाले दलित परिवार में अत्याचार से पीड़ित दलित महिलाओं का अनुपात सबसे कम 2.66 प्रतिशत पाया गया अर्थात् अत्याचारी व्यक्ति द्वारा मुख्यतः निर्धन दलित परिवारों को निर्धनता का लाभ उठाकर अधिक अत्याचार किया जाता है, जो अत्याचार और निर्धनता के मध्य संबंध को दर्शाता है।

सारणी क्रमांक–7
पीड़ित दलित महिलाओं के मकान का स्वरूप

मकान का स्वरूप	कुल	प्रतिशत
कच्चा	41	54.67
मिश्रित	28	37.33
पक्का	6	8.00
कुल	**75**	**100**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 7 के अनुसार अत्याचार से अधिक पीड़ित होने वाली 54.67 प्रतिशत महिलाएं कच्चे, मकानों में रहने वाली पाई गई, वहीं 37.33 प्रतिशत महिलाएं मिश्रित मकानों में रहने वाली तथा 8.0 प्रतिशत महिलाएं पक्के मकानों में रहने वाली थी। अत्याचार की प्रकृति के अनुसार देखा जाए तो कच्चे एवं मिश्रित मकानों पर रहने वाली दलित महिलाएं गंभीर प्रकृति के अत्याचारों और मुख्य रूप से यौन संबंधी अत्याचारों से अधिक पीड़ित पाई जाती है, जबकि पक्के मकान में रहने वाली महिलाओं के साथ छेड–छाड़ शीलभंग एवं कम गंभीर अपराध पाए जाते हैं।

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-IV, May-2015
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

सारणी क्रमांक–8
पीड़ित दलित महिलाओं की जातीय स्थिति

जातीय स्थिति	कुल	प्रतिशत
चमार	31	41.33
झारिया	17	22.66
बसोर/वंशकार	6	8.00
कोरी	18	13.34
चडार	2	2.66
खटीक	1	1.33
दाहिया	54	5.34
डुमार	2	2.66
बाल्मिक	2	2.66
कुल	**75**	**100**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 8 के अनुसार अत्याचार से पीड़ित दलित महिलाओं की जातीय स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें चमार जाति की दलित महिला सर्वाधिक 41.33 प्रतिशत पीड़ित पाई गई उसके बाद झारिया 22.66 प्रतिशत, कोरी 13.34 प्रतिशत, खटीक, डुमार एवं बल्मिक जाति की दलित महिलाएँ अपेक्षता कम अनपात में पीड़ित पाई गई। अर्थात् अत्याचार मुख्यतः ऐसे परिवारों की महिलाओं के साथ अधिक होता है, जिनकी सामाजिक प्रस्थिति निम्न होती है। जो घृणित व्यवसायों एवं जातिसोपान क्रम में सबसे निचले स्तर की होती है।

तथ्यों का विश्लेषण

शोध से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि वाले पीड़ितों की तुलना में निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के पीड़ितों पर अत्याचार की घटनाएँ अधिक होती है। वही उच्च शिक्षितों की तुलना में कम शिक्षित एवं अशिक्षित अत्याचार से अधिक पीड़ित पाये जाते है।

वहीं निम्न आयु की दलित महिलाएं अधिक अनुपात में पीड़ित दिखाई देती है, अत्याचार का 80 प्रतिशत 12 से 36 वर्ष तक की आयु के मध्य अधिक पाया जाता है। पीड़ितों में चमार जाति की संख्या सर्वाधिक है, जो सभी तरह के अत्याचारों की घटना से पीडित पाई गई, जिसमें सर्वाधिक बलात्कार और शीलभंग की घटनाएँ पाई गई।

उपकल्पनाओं का सत्यापन

तथ्यों एवं सारणियों के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि निम्न मासिक आय वाले कम आमदनी अर्जित करने वाले परिवारों के पीड़ितों की संख्या अधिक दिखाई देती है, वहीं विवाहितों की तुलना में अविवाहित महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएँ अधिक पाई गई तथा उच्च शिक्षितों की तुलना में निम्न शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं पर अत्याचार की संख्या अधिक पाई गई, जो उपकल्पना की वैद्यता को दर्शाती है।

सुझाव

1. न्यायालय द्वारा पीड़ित दलितों क मामलों का निपटारा शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए एवं न्यायायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को अधिक जोर दिया जाना।
2. अत्याचार से पीड़ित दलितों को प्राप्त होने वाली राहत राशि को उन्हें शीघ्र एवं सुनिश्चित राशि प्रदान की जानी चाहिए।
3. पुलिस द्वारा घटना स्थल का उचित निरीक्षण करना चाहिए, तथा घटना स्थल पर शीघ्रता से पहचाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. डॉक्टरी परीक्षण एवं परीक्षण रिपोर्ट में शुद्धता एवं पारदर्शिता होना चाहिए।
5. शासन द्वारा पीड़ित पक्ष में मुकदमें की पैरवी कर रहे, वकील द्वारा पीड़ित पुरूष एवं महिलाओं से घटना की पूर्ण जानकारी सुनने एवं गंभीरतापूर्ण उसे समझना तथा उस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि वकील द्वारा ही सही तथ्यों एवं साक्ष्य को उपस्थित न करने के कारण ही पीड़ितों को उचित न्याय प्राप्त नहीं हो पाता।

निष्कर्ष

शोध से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है, कि जो महिलाएं गैर अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा अत्याचार का शिकार होती है, उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती वे अत्यंत निर्धन तथा अशिक्षित या कम शिक्षित होती है तथा कम आयु समूह की अधिक होती है, शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में दलित महिलाओं पर अत्याचार निरंतर होते रहते हैं, तथा महिलाएँ सभी प्रकार के अत्याचारों से पीड़ित दिखाई देती है, जिसमें सर्वाधिक बलात्कार एवं शीलभंग के मामले सामने आये हैं।

वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति होने वाले घटनाआ में निरंतर वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं दलित एवं दलित समुदाय के प्रति होने वाले अत्याचार की घटनाओं के मामलों में पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों की तरफ तीव्रता से बदले दिखाई देती है।

संदर्भ ग्रंथ–सूची

1. अवस्थी, श्रीमति सुधा, 2003, महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाअधिकार, अशोक लॉ हाउस, नई दिल्ली, पृ. सं. 3।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण रिपोर्ट, 2004, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
3. रावत हरिकृष्ण 2008: 'उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश' रावत पब्लिकेशन, जयपुर, (पृ.स. 102)
4. अहूजा, राम, 2000, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. सं. 238।
5. सिंह रामगोपाल, भारतीय दलित समस्याएँ एवं समाधान, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1998 (पृ.स. 116, 129, 134)
6. अहूजा, राम, 2012, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. सं. 246।
7. भारत का संविधान, (1999) सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, पृष्ठ– 5–26
8. योजना, अक्टूबर–2006, पृष्ठ 19,41
9. वर्मा, श्रीमति भावना, (2002) महिलाओं के प्रति अपराध कारण एवं परिणाम, हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस, जबलपुर (म.प्र.)
10. पंचांग राजकुमारी, (1995), 'मध्यप्रदेश में दलित महिला अतीत वर्तमान और भविष्य', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
11. डाओने सुनील (2004), 'नारी उत्पीड़न', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्लीं